उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 ......369/17 दिनांक 13/1/17

<u>रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट</u>

सेवा में,

कुलपति / डीन / निदेशक / प्रधानाचार्य,
समस्त मेडिकल कालेज (शासकीय / निजी क्षेत्र)
उत्तर प्रदेश।

विषय–एम.बी.बी.एस. प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्रों के स्थायी / अस्थायी (परमानेन्ट / प्रोविजनल) पंजीकरण के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त के संबंध में आपको अवगत कराना हैं कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने हेतु गत वर्ष की भाँति एम.बी.बी.एस. प्रशिक्षण के परीक्षाफल घोषित होने के तत्काल पश्चात् सभी उत्तीर्ण छात्रों के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों / पंजीकरण शुल्क को लेकर प्रधानाचार्य कार्यालय का कोई सहायक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी सभी छात्रों का आवेदन पत्र एक साथ लाकर पंजीकरण हेतु जमा कर सकते है। **<u>इस कार्यालय द्वारा अब फार्म नहीं भेजा जायेगा। कार्यालय की वेबसाइट www.upmedicalcouncil.org पर उपलब्ध है, से आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भराकर ही कार्यालय में लाना सुनिश्चित किया जाये।</u>**

1. विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षाफल की प्रमाणित प्रति।
2. संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा जारी इन्टर्नशिप पोस्टिंग आर्डर सूची।
3. प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित सभी अभ्यर्थियों की सूची (**इस सूची पर तत्काल इन्टर्नशिप करने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी)।**
4. अभ्यर्थी द्वारा भरा गया आवेदन पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित)।
5. प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रशिक्षण उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (पासिंग आउट सर्टिफिकेट)।
6. हाईस्कूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
7. एम.बी.बी.एस. परीक्षा के अंक–पत्र जो अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हों, की प्रमाणित प्रतिलिपि।
8. पंजीकरण शुल्क रू. 1,000 / – प्रति छात्र का ड्राफ्ट।(समेकित रूप से एक ही ड्राफ्ट)
9. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इन्टर्नशिप प्रारम्भ करने की अनुमति दी जायेगी जिनके आवेदन फार्म पूर्ण होंगे। अपूर्ण तथा बिना फार्म के अनुमति देना संभव नहीं होगा।

उक्त के आधार पर प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित सूची का मिलान छात्रों के आवेदन पत्रों से करने के बाद सूची पर इन्टर्नशिप करने की अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। इसके पश्चात् एक माह के अन्दर अभ्यर्थियों के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भेज दिये जायेंगे।

नोट: (1) कृपया शासनादेश संख्या 109 / 71–2–15–529 / 90 दिनॉक 31 मार्च, 2015 के अनुसार किसी भी मेडिकल कालेज द्वारा बिना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के NOC ना दी जाय अन्यथा उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(2) स्थायी (परमानेन्ट) पंजीकरण के समय संबंधित अभ्यर्थी को समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मेडिकल कौंसिल।